सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 05 / प्रा0पत्र / 2023 — दायरा दिनांक :—09.01.2023

GCMS ID—2023 / 278

उनवान

1. फूलचंद आ0 मोतीलाल जाति मीणा निवासी धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
   1 / 1. राजू आ0 फूलचंद जाति मीणा निवासी धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
   1 / 2. राकेश कुमार फूलचंद जाति मीणा निवासी धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
   1 / 3. सीता पुत्री फूलचंद जाति मीणा निवासी धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
   1 / 4. नीमा पुत्री फूलचंद जाति मीणा निवासी धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
   1 / 5. मनभरदेवी पत्नी फूलचंद जाति मीणा निवासी धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपी आ0 पन्ना जाति रेगर निवासी धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. पुष्पा पत्नी प्रभूलाल जाति रेगर निवासी धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. प्रभूलाल आ0 पूरा जी जाति रेगर निवासी धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :— श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :— रामेश्वर प्रसाद रेगर

आदेश

दिनांक : 19.05.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि खाता संख्या 154 खसरा संख्या 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 971 / 2454 कुल किता 12 कुल रकबा 5.1557 हैक्टेयर वाके ग्राम धोवडा पटवार मण्डल धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में स्थित है, जो जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 की खतौनी संख्या 154 में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 961 रकबा 0.7365 के समीप अप्रार्थीगण की भूमिया स्थित है। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 961 के सहारे अप्रार्थी संख्या 3 प्रभूलाल की भूमि खसरा संख्या 2794 / 959 व अप्रार्थी गोपी की भूमि खसरा संख्या 959 व 960 व अप्रार्थी संख्या 2 पुष्पा बाई की भूमि खसरा संख्या 958 / 2469 है। खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

958/2469 पर वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 पुष्पा बाई काबिज काश्त है सह हिस्सेदार राजू पुत्र शौदान लाऔलाद फोत हो गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमियों के मध्य सीमा के संबंध में कोई मुस्तकिल निशान नहीं है और न ही मौके पर कोई सीमा चिन्ह अंकित है। भूमिया पास पास होने से सीमाओ को लेकर पक्षकारान के मध्य आये दिन विवाद होता है तथा एक दूसरे की सीमाओं को लेकर पक्षकारान के मध्य आये दिन विवाद होता है तथा एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करने की संभावना बनी रहती है। प्रार्थी पडोसी अप्रार्थीगण से मधूर संबंध कायम रखना चाहता है। लेकिन भूमियों की सीमा फिक्स नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि की तरफ अतिक्रमण करने की कुचेष्टा करते है ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 961 की अप्रार्थीगण की मौजूदगी में पत्थरगढी करवाना चाहता है। ताकि पत्थरगढी होने के उपरान्त प्रार्थी अपनी भूमि की सीमा पर तारफेंसिंग कर अपनी भूमि की फसल की सुरक्षा कर सके। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य सीमाबन्दी नहीं होने से आवारा मवेशी भी फसलों को नुकसान पहूंचाते है ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी भूमि की सीमा पर पत्थगरढी करवाकर तारफेंसिंग करवाना चाहता है ताकि आवारा मवेशी फसलों को नुकसान नहीं पहुचाये प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमिया समीपवृत्ति होने के संबंध में भूमि का नक्शा ट्रेस व जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी ने पूर्व में अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु गत 1 वर्ष पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान नहीं होने दिया ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास पत्थरगढी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। प्रार्थी ने दिनांक 30.11.2022 को अप्रार्थीगण से आपसी सहमति से भूमि की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण पत्थरगढी करवाने से इन्कार हो गये है यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण अन्तिम रूप से दिनांक 30.11.2022 को उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 961 की अप्रार्थीगण की मौजूदगी में अपनी भूमि की पत्थरगढी करवावे। प्रार्थी की खातेदारी भमि की पत्थरगढी की कार्यवाही का श्रवणाधिकार आदरणीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार पत्थरगढी की फीस जमा करवाने को तैयार है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 961 रकबा 0. 7365 वाके ग्राम धोवडा की अप्रार्थीगण की मौजूदगी में पत्थगरढी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 की ओर से श्री रामेश्वर प्रसाद रेगर ने पेश किया जो शामिल मिसल है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी फूलचन्द की मृत्यु होने का अंकन दिनांक 27.05.2024 को आदेशिका पर किया गया है, जिस पर वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.06.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0 दी0 का दिनांक 28.06.2024 को पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2025 को वकील अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं होने से स्वीकार किया जाकर मृतक प्रार्थी फूलचन्द के वारिसान को कायम मुकाम बनाए जाने के आदेश दिये गये।

वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.06.2024 का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मृतक प्रार्थी फूलचन्द के वारिसान की ओर कोई वकालतनामा पेश नहीं कर केवल स्वयं के हस्ताक्षर से प्रार्थना पेश किया गया है। दिनांक 28.06.2024 से आज दिनांक तक भी वकील प्रार्थी द्वारा कायम मुकाम की ओर से कोई वकालतनामा पेश नही कर बिना वकालतनामे के ही प्रकरण में पैरवी की जा रही है। जबकि वकील प्रार्थीगण को वकालतनामा पेश करने हेतु पूर्व में आदेशित किया जा चुका है। बिना वकालतनामें के प्रकरण का विचारण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है साथ ही न्यायालय आदेश के वाबजूद वकालतनामा पेश नहीं करना न्यायालय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अदम तकमील में खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446